मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

छठवा तल, लिली ट्रेड विंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.)
फोन +91 755-2780600, www.tourism.mp.gov.in

क्र. 2391 /एमपीटीबी/एडवेंचर/कैम्पिंग/2020

भोपाल, दिनांक 30/6 /2020

पर्यटन विभाग द्वारा कैम्प साईट की भूमि को कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु लायसेंस पर आवंटित किए जाने विषयक

विज्ञप्ति सूचना

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कैम्पिंग नीति-2018 के तहत निम्न कैम्पिंग भूमिओं को कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु 5-15 वर्ष की अवधि के लिए लायसेंस पर दिया जाना है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी निर्धारित प्रारूप में दिनांक 25/07/2020 समय सायं 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय पश्चात् दर्ज आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। लायसेंस हेतु कैम्पिंग साईट्स का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रं.	कैम्प साईट का नाम/तहसील/जिला	खसरा क्रं.	रकबा (Area)
1.	बलड़ी टापू नं. 42 हनुवंतिया, जिला खण्डवा	392	1.670
2.	विराट मंदिर (सोहागपुर), जिला शहडोल	579/1/1	0.487
3.	गांधी सागर ब्लॉक नं. 3, जिला मंदसौर	353	0.910
4.	ग्राम कलकुही, नजदीक बरगी, तहसील धनसौर, जिला सिवनी	34	1.700
5.	ग्राम मालासरी, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर	466/1	0.534
6.	ग्राम कोनाझीर, तहसील सीहोर, जिला सीहोर	196/1	1.619

इच्छुक आवेदक/कंपनी/फर्म जो निर्धारित पात्राऐं पूरी करते हैं, के द्वारा आवेदन शुल्क की राशि रूपये 2000/- (+ GST 18% सहित) जमा कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

कैम्प साईट हेतु भूमि लायसेंस पर दिए जाने के नियम/शर्तें/पात्रता आदि की जानकारी www.tourism.mp.gov.in पर प्रदर्शित है। जानकारी हेतु श्री के.के.सिंह, सहायक संचालक दूरभाष क्रमांक 9479628186 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अपर प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
छठवा तल, लिली ट्रेड विंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.)
फोन +91 755-2780600, www.tourism.mp.gov.in

क्र.2408 /एमपीटीबी/एडवेंचर/कैम्पिंग/2020

भोपाल, दिनांक 02/07/2020

पर्यटन विभाग द्वारा कैम्प साईट की भूमि को कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु लायसेंस पर आवंटित किए जाने विषयक

शुद्धि पत्र सूचना

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कैम्पिंग नीति-2018 के तहत निम्न कैम्पिंग भूमियों को कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु 5-15 वर्ष की अवधि के लिए लायसेंस पर दिया जाने हेतु विज्ञापन क्रमांक 2391/**एमपीटीबी/एडवेंचर/कैम्पिंग/2020** दिनांक 30/6/2020 प्रसारित किया गया है, जिसके सरल क्रमांक 6 पर अंकित भूमि ग्राम कोनाझीर तहसील एवं जिला सीहोर का भूमि खसरा क्रमांक 196/1 के स्थान पर खसरा क्रमांक 169/2 पढ़ा जावे।

अपर प्रबंध संचालक

कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों हेतु भूमि लायसेंस पर लेने की प्रक्रिया एवं प्राप्त आवेदनों के पत्रों के निराकरण की प्रक्रिया।

(कैम्पिंग पॉलिसी-2018)

विज्ञप्ति:

विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रमुख समाचार पत्रों में तथा विभागीय बेव साईट www.tourism.mp.gov.in पर किया जावेगा, जिसमें आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभ एवं अंतिम तिथि का उल्लेख किया जावेगा।

परिशिष्ट क्रं. 01

आवेदन-पत्र :

आवेदक/कंपनी/फर्म जिनका विगत 02 वित्तीय वर्ष को मिलाकर न्यूनतम 25.00 लाख रू. का टर्न-ओवर अथवा विगत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस 31 मार्च को नेटवर्थ 10.00 लाख रू. है, जो निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन www.tourism.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से शुल्क रू. 2000/- + Applicable GST के साथ ऑनलाईन ही आवेदन किया जावेगा। कोई भी आवेदन ऑफ लाईन नहीं लिया जावेगा।

: चयन समिति द्‌वारा परीक्षण :

प्राप्त आवेदनों का परीक्षण 15 कार्य दिवस के भीतर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की कैम्पिंग पॉलिसी 2018 के बिन्दु क्रमांक-7 अनुसार चयन समिति द्‌वारा किया जावेगा एवं एक कैम्प साईट पर एकल आवेदन प्राप्ति की दशा में अभिस्वीकृति पत्र की दो प्रतियों में जारी की जावेगी।

परिशिष्ट क्रं. 03

परिशिष्ट क्रं. 04

: एक कैम्प साईट पर एक आवेदन-पत्र की स्थिति में अभिस्वीकृति पत्र :

एक कैम्प साईट पर एक आवेदन की दशा में जारी किए गये अभिस्वीकृति पत्र को आवेदक द्‌वारा एक प्रति सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को वापिस प्रेषित किया जावेगा। जिसे आवेदन की शर्तों पर सहमति के रूप में स्वीकार किया जावेगा।

: एक कैम्प साईट पर एक आवेदन-पत्र की स्थिति में लायसेंस :

एक कैम्प साईट पर एक आवेदन की दशा में–अभिस्वीकृति पत्र की आवेदक द्‌वारा हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होने की दशा में लायसेंस दिया जावेगा।

: एक कैम्प साईट पर समान गतिविधि हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्ति की दशा में सीमित ऑफर हेतु कार्यवाही :

एक कैम्प साईट के लिए समान गतिविधि हेतु एक से अधिक पात्र आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो समस्त पात्र आवेदकों को लायसेंस शुल्क की निर्धारित राशि 25 हजार रू. से अधिक राशि के सीमित ऑफर हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा कि वह अपना लायसेंस शुल्क ऑफर सील बन्द लिफाफे में पोर्टल में अंकित निर्धारित अंतिम दिनांक/समय तक प्रेषित करें।

परिशिष्ट क्रं. 06

: एक कैम्प साईट पर समान गतिविधि हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्ति की दशा में चयन प्रक्रिया :

एक कैम्प साईट पर समान गतिविधि हेतु एक से अधिक आवेदन के आवेदकों से प्राप्त ऑफर (प्रस्ताव) का चयन समिति द्वारा परीक्षण किया जावेगा एवं तुलनात्मक चार्ट निर्मित किया जावेगा। सील बन्दे लिफाफे खोलने से पूर्व आवेदकों को सूचित किया जावेगा। सर्वाधिक लायसेंस शुल्क ऑफरकर्ता आवेदक को समिति से प्राप्त अनुमोदन मे पश्चात् अभिस्वीकृति पत्र की दो प्रतियां प्रेषित की जावेंगी।

परिशिष्ट क्रं. 07

परिशिष्ट क्रं. 08

: सर्वाधिक दर के ऑफरकर्ता का शपथ-पत्र :

एक कैम्प साईट पर समान गतिविधि हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्ति की दशा में-- प्रेषित किए गये अभिस्वीकृति पत्र को सर्वाधिक लायसेंस शुल्क के ऑफरकर्ता आवेदक द्वारा अध्ययन किया जावेगा एवं अभिस्वीकृति पत्र की एक प्रति सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को वापिस प्रेषित किया जावेगा।

: सर्वाधिक दर के ऑफरकर्ता को लायसेंस :

एक कैम्प साईट पर समान गतिविधि हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्ति की दशा में–अभिस्वीकृति पत्र की आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लायसेंस जारी किया जावेगा।

लायसेंस परिशिष्ट क्रं. 09